

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**

**RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 353
TO BE ANSWERED ON THE 5TH APRIL, 2022**

PATIENT TO DOCTORS & NURSES RATIO IN THE COUNTRY

353 # SHRI G.C. CHANDRASHEKHAR:

Will the Minister of **HEALTH AND FAMILY WELFARE** be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that the ratio of Patient to Doctors & Nurses in the country is not adequate, if so, the details thereof, State/UT-wise;
- (b) whether any steps have been taken or are being taken to increase the number of seats in various medical institutes or colleges throughout the country; and
- (c) if so, the details thereof during the last three years and the current year?

**ANSWER
THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(DR MANSUKH MANDAVIYA)**

(a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

**STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 353* FOR 5TH APRIL, 2022**

As per information available, there are 13,01,319 allopathic doctors registered with the State Medical Councils and the National Medical Commission (NMC) as on November, 2021. The doctor-population ratio is 1:834 in the country assuming 80% availability of registered allopathic doctors and 5.65 lakh AYUSH doctors. Also, there are 2.89 lakh registered dentists and 13 lakh Allied and Healthcare Professionals in the country.

As per Indian Nursing Council records, there are around 33.41 lakh registered nursing personnel which includes 23,40,501 Registered Nurses and Registered Midwives (RN&RM) and 10,00,805 Nurse Associates (9,43,951 Auxiliary Nurse Midwives (ANM) and 56,854 Lady Health Visitors (LHV)) in the country. The nurse-population ratio in the country at present is 1.96 nurses per 1000 population.

The Government has taken various steps to increase the number of seats in various medical institutes/colleges in the country. As a result, the number of UG seats have increased from 51,348 before 2014 to 89,875 seats as on date which is an increase of 75%. The numbers of PG seats have increased by 93% from 31,185 seats before 2014 to 60,202 seats.

Various steps to increase the medical seats include the following: -

- i. Centrally Sponsored Scheme for establishment of new medical colleges by upgrading district/ referral hospitals under which 157 new medical colleges have been approved.
- ii. Centrally Sponsored Scheme for strengthening/ upgradation of existing State Government/Central Government Medical Colleges to increase MBBS and PG seats.

- iii. Central Sector Scheme for upgradation of Government Medical Colleges by construction of Super Specialty Blocks. A total of 75 projects have been approved.
- iv. Under Central Sector Scheme for setting up of new AIIMS, 22 AIIMS have been approved. Undergraduate courses have started in 19 AIIMS.
- v. Relaxation in the norms for setting up of Medical College in terms of requirement for faculty, staff, bed strength and other infrastructure.
- vi. DNB qualification has been recognized for appointment as faculty to take care of shortage of faculty.
- vii. Enhancement of age limit for appointment/ extension/ re-employment against posts of teachers/dean/principal/ director in medical colleges upto 70 years.

Further, the Government has taken following steps to increase the nursing seats in the country:-

- (i) For Nursing Educational Programmes Student patient ratio has been relaxed from 1:5 to 1:3
- (ii) The land requirement for Nursing Educational Institutes from 3 acres has been relaxed to construct building of 54,000 sq. ft. for School/College of Nursing including Hostel.
- (iii) To open GNM and B.Sc. (Nursing) programme 100 bedded parent hospital is essential since 2013-2014. However, this is relaxed for hilly and tribal areas.
- (iv) Relaxed norms for teaching faculty to start B.Sc. (N) Programme.
 - At least 2 M.Sc. (N) faculty to be available
 - Qualification and Experience of the Nursing Teachers has been relaxed.
- (v) Relaxation for opening M.Sc.(N) programme. Super speciality Hospital can start M.Sc. (N) without having under graduate programme.

- Relaxation of student teacher ratio for M.Sc.(N) programme has been relaxed from 1:5 to 1:10

- (vi) Age of superannuation increased for Faculty in Nursing to 70 years
- (vii) Maximum of 100 seats will be granted to the institutions for B.Sc.(N)/GNM programmes which are having parent hospital with 300 beds without insisting on Medical College
- (viii) Distance from school to hospital has been relaxed.
- (ix) Eligibility Criteria for admission to nursing programmes relaxed:
 - a. Aggregate Marks for Diploma and Degree has been relaxed.
 - b. Candidates from recognized State Open School and National Institute of Open School (NIOS) are also eligible.

Further, for making rapid growth in the number of allied medical seats in the country, the Government has enacted National Commission for Allied and Healthcare Professions (NCAHP) Act, 2021 and an Interim Commission has been notified under the provisions of NCAHP Act, 2021.

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: 353*
05 अप्रैल, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

देश में चिकित्सकों और नर्सों का प्रति रोगी अनुपात

353 श्री जी.सी. चन्द्रशेखर:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में चिकित्सकों और नर्सों का प्रति रोगी अनुपात पर्याप्त नहीं है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश भर के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों या महाविद्यालयों में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 05 अप्रैल, 2022 के लिए निर्धारित राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 353 के उत्तर में उल्लिखित विवरण:

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, नवम्बर, 2021 तक राज्य चिकित्सा परिषदों तथा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) में 13,01,319 एलोपैथिक डॉक्टर पंजीकृत हैं। पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टरों तथा 5.65 लाख आयुष डॉक्टरों की 80% उपलब्धता मानते हुए देश में डॉक्टर-जनसंख्या का अनुपात 1:834 है। इसी के साथ देश में 2.89 लाख पंजीकृत दन्त चिकित्सक तथा 13 लाख संबद्ध एवं स्वास्थ्य परिचर्या पेशेवर भी हैं।

भारतीय उपचर्या परिषद के रिकॉर्ड के अनुसार, देश में लगभग 33.41 लाख पंजीकृत उपचर्या कार्मिक हैं जिनमें 23,40,501 पंजीकृत नर्स तथा पंजीकृत मिडवाइफ (आरएन एवं आरएम) तथा 10,00,805 नर्स एसोसिएट्स 9,43,951 सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम) एवं 56,854 लेडी हेल्थ विजिटर (एलएचवी) हैं। वर्तमान में देश में प्रति 1000 जनसंख्या पर नर्स-जनसंख्या का अनुपात 1:96 है।

देश में विभिन्न मेडिकल संस्थानों / कॉलेजों में सीटों की संख्या में बढ़ोतरी करने हेतु सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। इसके परिणामस्वरूप स्नातक सीटों की संख्या जो 2014 से पहले 51,348 थी, आज की स्थिति के अनुसार, उनकी संख्या बढ़कर 89,875 हो गई है, अर्थात् सीटों की संख्या में 75% की वृद्धि हुई है। स्नातकोत्तर सीटों की संख्या में भी 93% की वृद्धि हुई है, अर्थात् 2014 से पूर्व इनकी संख्या 31,185 सीटें थी जो अब बढ़कर 60,202 सीटें हो गई है।

मेडिकल सीटों की संख्या में वृद्धि करने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- i. जिला / रैफरल अस्पतालों को उन्नत करके नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हेतु केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना जिसके तहत 157 नए मेडिकल कॉलेज अनुमोदित किए गए हैं।
- ii. एमबीबीएस तथा स्नातकोत्तर सीटों की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए मौजूदा राज्य सरकार / केंद्रीय सरकार के मेडिकल कॉलेजों के सुदृढीकरण/उन्नयन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजना।
- iii. सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉकों का निर्माण करके सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना। कुल 75 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।
- iv. नए एम्स की स्थापना हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत 22 नए एम्स अनुमोदित किए गए हैं। 19 एम्स में स्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ हो चुके हैं।
- v. संकाय, स्टाफ, बिस्तरों की संख्या तथा अन्य अवसंरचना के लिए आवश्यकता के संबंध में, मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हेतु मानकों में छूट।
- vi. संकाय की कमी को दूर करने के लिए संकाय के रूप में नियुक्ति हेतु डीएनबी अर्हता को मान्यता दी गई है।

- vii. मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों / डीन / प्रधानाचार्य / निदेशकों के पदों पर नियुक्ति / विस्तार / पुनः रोजगार हेतु आयु सीमा को बढ़ाकर 70 वर्ष तक करना।

इसके अतिरिक्त, देश में नर्सिंग सीटों की संख्या में वृद्धि करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- i. नर्सिंग शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए छात्र-मरीज अनुपात में छूट देकर इसे 1:5 से 1:3 कर दिया गया है।
- ii. नर्सिंग शैक्षणिक संस्थानों के लिए भूमि की आवश्यकता में 3 एकड़ से छूट देकर इसे हॉस्टल सहित स्कूल नर्सिंग कॉलेज के लिए 54,000 वर्ग फीट निर्मित भवन कर दिया गया है।
- iii. जीएनएम तथा बीएससी (नर्सिंग) कार्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए 2013-14 से 100 विस्तर वाला मूल अस्पताल अनिवार्य है। तथापि, पहाड़ी एवं जनजातीय क्षेत्रों के लिए इसमें छूट दी गई है।
- iv. बीएससी (एन) कार्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए शिक्षण संकाय के लिए मानकों में छूट दी गई है।
 - कम से कम 2 एमएससी (एन) संकाय उपलब्ध होने चाहिए।
 - नर्सिंग शिक्षकों की अर्हता एवं अनुभव में छूट दी गई है।
- v. एमएससी (एन) कार्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए छूट। सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल स्नातक कार्यक्रम के बिना ही एमएससी (एन) प्रारम्भ कर सकते हैं।
 - एमएससी (एन) कार्यक्रम के लिए छात्र-शिक्षक अनुपात में छूट देकर इसे 1:5 से कम करके 1:10 कर दिया गया है।
- vi. नर्सिंग में संकाय के लिए अधिवर्षिता की आयु बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई है।
- vii. बीएससी (एन) / जीएनएम कार्यक्रमों के लिए जिन संस्थानों के पास 300 बिस्तरों वाले मूल अस्पताल हैं, उन्हें मेडिकल कॉलेज पर दबाव डाले बिना अधिकतम 100 सीटें स्वीकृत की जाएगी।
- viii. स्कूल से अस्पताल के बीच दूरी में छूट दी गई है।
- ix. नर्सिंग कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड में छूट दी गई है:
 - क. डिप्लोमा एवं डिग्री के लिए कुल अंकों में छूट दी गई है।
 - ख. मान्यता-प्राप्त राज्य मुक्त विद्यालय तथा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (एनआईओएस) के अभ्यर्थी भी पात्र हैं।

इसके अतिरिक्त, देश में संबद्ध मेडिकल सीटों की संख्या में तेजी से वृद्धि करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य परिचर्या व्यवसाय आयोग (एनसीएचपी) अधिनियम, 2021 को अधिनियमित किया है तथा एनसीएचपी अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के तहत एक अन्तरिम आयोग अधिसूचित किया गया है।

SHRI G.C. CHANDRASHEKHAR: Sir, in rural India, the ratio of patient to doctor is around 1:10,926 as per the National Health Profile, 2019. In Uttara Kannada district, if any emergency occurs in Sirsi *taluka*, the patient has to travel for around 2.5 hours a distance of 100 kms. to Hubli...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Chandrashekarji, Question Hour is over.